

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: अधिसूचना ::--

संचिका संख्या-स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-4)-...../निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-56/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा दिनांक-05.08.2024 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, दण्डखोरा-हसनगंज का औचक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

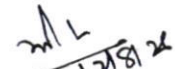
बाल विकास परियोजना कार्यालय, दण्डखोरा-हसनगंज के जाँच प्रतिवेदनानुसार तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही का प्रभार नहीं दिये जाने, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अवकाश में रहने के कारण माह जून का पोषाहार वितरण बाधित रहने, अवकाश अवधि में किसी अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रभार नहीं सौंपे जाने, कार्यालय द्वारा उनके अवकाश की स्वीकृति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिये जाने एवं बाल विकास परियोजना डंडखोरा में ए.के.वाई.सी. मात्र 03 प्रतिशत पाये जाने आदि का उल्लेख किया गया।

जाँच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों / अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी स्नेहलता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दण्डखोरा-हसनगंज, कटिहार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। अनुमोदित आरोप पत्र पर श्रीमती कुमारी स्नेहलता से विभागीय पत्रांक-4259 दिनांक-05.09.2024 द्वारा लिखित अभिकथन की माँग की गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी स्नेहलता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए श्री हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती अमृता सिंह, सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्रांक-1707 दिनांक-07.04.2026 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। जिसमें आरोप पत्र के सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी स्नेहलता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दण्डखोरा-हसनगंज, कटिहार को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में स्नेहलता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दण्डखोरा-हसनगंज, कटिहार को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

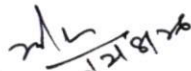

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-4)-

पटना-15 दिनांक :- 13.8.2024

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) श्रीमती कुमारी स्नेहलता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दण्डखोरा हसनगंज, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।